न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R,A.S.)

मु० संख्या :–205/363/07

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 गोविन्दराम पुत्र बिशना उर्फ किशना, जाति कुमावत निवासी ढाणी चैनाका की, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

1/1. बिदामी देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 70 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ढाणी चैनाका की, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/2. सम्पत देवी पत्नी रामावतार, पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 40 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी बांस का टीबा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/3. नन्छी देवी पत्नी कजोडमल, पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन, गैस गोदाम, रींगस, जिला सीकर।

1/4. सुनिता पत्नी नन्छुराम, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी बस स्टेण्ड, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/5. सुमन देवी पत्नी गंगाराम, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 33 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन, गैस गोदाम, रींगस, जिला सीकर।

1/6. नर्बदा देवी पत्नी बजरंग लाल, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी स्वामियों की ढाणी, ग्राम भण्डोर, मनोहरपुर, जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. वंशीधर पुत्र केसरी देवी पत्नी जगन्नाथ पुत्री नाथू
2. गंगल पुत्र केसरी देवी पत्नी जगन्नाथ पुत्री नाथू
   समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम मुण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
3. श्रवण पुत्र सुंदरी देवी पुत्री नाथू
4. बोदू पुत्र सुंदरी देवी पुत्री नाथू
5. भागीरथ पुत्र सुंदरी देवी पुत्री नाथू
   समस्त जाति कुमावत, निवासी बाबा वाली ढाणी, ग्राम निवाणा, तह0 चौमूँ जिला जयपुर।
6. श्रीमती मनभरी देवी पत्नी मुक्तिलाल, पुत्री सुन्दरी देवी जाति कुमावत, निवासी सिंघलवाली ढाणी, रेलवे स्टेशन चौमूँ, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

मु0 न0 :–206/416/07

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 गोविन्दराम पुत्र बिशना उर्फ किशना, जाति कुमावत निवासी ढाणी चैनाका की, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

Devyani
सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

1/1. बिदामी देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 70 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी ढाणी चैनाका की, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/2. सम्पत देवी पत्नी रामावतार, पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 40 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी बांस का टीबा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/3. नन्छी देवी पत्नी कजोडमल, पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन, गैस गोदाम, रींगस, जिला सीकर।

1/4. सुनिता पत्नी नन्छुराम, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी बस स्टेण्ड, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

1/5. सुमन देवी पत्नी गंगाराम, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 33 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी रेलवे स्टेशन, गैस गोदाम, रींगस, जिला सीकर।

1/6. नर्बदा देवी पत्नी बजरंग लाल, पुत्री स्व0लक्ष्मीनारायण, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी स्वामियों की ढाणी, ग्राम भण्डोर, मनोहरपुर, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सरजू देवी पत्नी प्रभातीलाल कुमावत जाति कुमावत, जाति कुमावत निवासी ग्राम तिगरिया तहसील चौमूँ जिला जयपुर। (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)
   1/1 — महेश पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/2 — प्रकाश पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/3 — राजू पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/4 — गजानन्द पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/5 — हीरालाल पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/6 — दीपक पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/7 — रणजीत पुत्र स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/8 —रूकमा पत्नी भागीरथ पुत्री स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/9 — रामप्यारी पत्नी रामचन्द्र पुत्री स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/10 — सुनीता पत्नी रतन लाल पुत्री स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   1/11 — किरण पत्नी रमेश चन्द पुत्री स्व0 सरजू देवी पत्नी प्रभात
   समस्त जाति कुमावत निवासी ग्राम तिगरिया तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
2. बंशीधर पुत्र केसरी देवी पत्नी जगन्नाथ पुत्री नाथू
3. मंगल पुत्र केसरी देवी पत्नी जगन्नाथ पुत्री नाथू
   समस्त जाति कुमावत, निवासी ग्राम मुण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

उक्त दोनो प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा एक ही विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान के होने से दानो पत्रावलीयों का आदेश एक साथ किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांकः— 12.09.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम तिगरीया, हाल तहसील चौमूँ, गत तहसील आमेर, जिला जयपुर में आराजी हाल खाता संख्या 550 हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.07 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.08 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.09 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.31 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.48 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.49 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.42 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.31 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.47 हैक्टैयर, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर स्थित हैं जिसके गत खसरा नम्बर सम्बत् 2004 से 2023 में 367, 368, 369, 370, 371, 375, 587, 591 अथार्थ कुल किता 7 का कुल रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा हैं तथा उपरोक्त गत खसरा नम्बरों के गत खसरा नम्बर संवत् 1987 में 359, 360, 362, 363, 368, 376, 557, 561 हैं उपरोक्त आराजीयात ही दोनो प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त हैं उक्त विवादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के दादा स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन पुत्र हणूता एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के नाना स्व0 नाथू के पिता बिसना उर्फ किशन व प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 13 की दादी स्व0 श्रीमती गोरादेवी के पिता स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन की खातेदारी की आराजीयात थी इस प्रकार उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 06 व प्रतिवादीगण 7 ता 13 की पैतृक आराजीयात हैं जिसके सर्वप्रथम खातेदार काश्तकार संवत् 1987 में स्व0 श्री बिसना उर्फ किसन पुत्र हणूता थे स्व0 श्री बिसन उर्फ किशन के तीन पुत्र एवं एक पुत्री क्रमशः स्व0 नाथूराम, स्व0 गोविन्दराम, स्व0 नारायण (अविवाहित नाओलाद फौत) व पुत्री श्रीमती गोरादेवी थी।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 11 के पिता स्व0 श्री गोविन्दराम के दो भाई व एक बहन थी इस प्रकार कानूनन प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के दादा स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तकरण स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन पुत्र हणूता के तीनों पुत्र व उदी; स्व0 नाथूराम, स्व0 गोविन्दराम, स्व0 नारायण एवं स्व0 श्रीमती गोरा देवी के नाम खोला जाकर के उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना चाहिए था अर्थात स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन पुत्र हणूता की मृत्यु के पश्चात् उक्त विवादित आराजीयात उनके समस्त विधिक वारिसानों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी जिसमें स्व0 नाथूराम का 1/4, स्व0 गोविन्दराम का 1/4, स्व0 नारायण का 1/4 एवं स्व0 श्रीमती गोरा देवी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना चाहिए था किन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण तथा स्व0 नाथूराम जो कि प्रार्थी एव प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के पिता का बडा भाई था के द्वारा अपने बडे होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विधि विरूद्ध रूप से तत्समय राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 श्री बिसना उर्फ किशन की मृत्यु के पश्चात् केवल अपना ही नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया जिसकी कोई भी सूचना प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के पिता गोविन्दराम, चाचा स्व0 नारायण एवं बुआ गोरादेवी को नहीं थी। नाथू की मृत्यु पश्चात् उक्त विवादग्रस्त भूमि नाथू की पुत्री स्व0 सुन्दरीदेवी जो कि अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 की माता है के नाम तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जो कि स्व0 नाथूराम के दोहिते हैं अर्थात स्व0 केसरीदेवी के पुत्र हैं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गयी जबकि उक्त आराजीयात पर सदैव ही प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 ही काबिज काश्त हैं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 13 का उक्त आराजीयात पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 के चाचा स्व0 श्री नारायण जो कि अविवाहित एवं नाओलाद थे ना ही उनके द्वारा अपने जीवन काल में कोई वसीयत ही विवादग्रस्त आराजियात बाबत की गयी। कि मृत्यु पश्चात् उनका 1/4 हिस्सा नाथूराम गोविन्दराम एवं स्व0 श्रीमती गोरादेवी को या इनके वारिसो के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना चाहिए था किन्तु पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में चली आ रही त्रुटी के कारण ऐसा नहीं हो सका। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 सुन्दरीदेवी के वारिस होने के कारण उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र में वारिस बनाया गया है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 का विवादग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा स्व0 श्री नारायण के नाओलाद फौत होने के कारण निहित हैं जिसे की प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 विवादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है तथा उनके द्वारा ही विवादग्रस्त आराजीयात का हर प्रकार से उपयोग उपभोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 13 का विवादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान में है। प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 05.10.2007 को ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ कि विवादग्रस्त आराजीयात बाबत अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 स्व0 श्री सुन्दरीदेवी की मृत्यु पश्चात् अपने नाम नामान्तरकण खुलवाने हेतु प्रयासरत हैं जिस बाबत उनके द्वारा ग्राम पंचायत में निवेदन भी किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 से इस बाबत संपर्क भी किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा प्रार्थी को यह धमकी दी गई कि उक्त विवादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण ही राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में सुन्दरीदेवी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हैं तथा वे शिघ्र ही ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर स्व0 सुन्दरीदेवी की मृत्यु पश्चात् अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 6 के नाम नामान्तकरण खुलवाकर उक्त विवादग्रस्त आराजीयात को अन्य दिगर अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर विवादग्रस्त आराजीयात का कब्जा अन्य दिगर व्यक्तियों को संभला देगे। उक्त आराजीयात सहवन से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की माता सुन्दरीदेवी के नाम दर्ज हैं। जिस कारण प्रार्थी को यह पूर्ण अंदेशा हो गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 राजस्व रिकॉर्ड में त्रटी वश दर्ज अपने हिस्से का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त आराजीयात सम्पूर्ण को ही अन्य दीगर व्यक्तियों को विक्रय या हस्तानान्तरित कर देगे तथा जबरिया विधिविरूद्ध रूप से प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 को बेदखल कर कब्जा कर लगे जिस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी बाबत् अनुतोष चाहा है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का जवाब पेश किया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य मनगढन्त मिथ्या हैं, जो प्रार्थी वादी एवं उसके

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

सहयोगी वाद-पत्र मे वर्णित प्रतिवादी सं0 7 लगायत 13 द्वारा वादग्रस्त सम्पति को हड़पने के लिए झूठा वाद पेश किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि वादग्रस्त सम्पति का खातेदार काश्तकार प्रारम्भ से ही एक मात्र नाथ्या (नाथू) वल्द बिसना रहा है। इस पैरा मे वर्णित बिसना पुत्र हनुता का कभी भी वादग्रस्त सम्पति पर कब्जा काश्त नही रहा है।, वादग्रस्त आराजीयात का एक मात्र मालिक, खातेदार काश्तकार प्रारम्भ से ही नाथ्या वल्द बिसना रहा है। नाथ्या वल्द बिसना के नाम ही सरकार द्वारा दिनांक 13.07.1947 को पट्टा काश्तकारी कानून के अधीन जारी किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा काश्त, मालिकाना हक एक मात्र नाथ्या व उसके उत्तराधिकारियो का ही है व रहा है। प्रार्थी वादी ने वादग्रस्त आराजीयात की पैतृक सम्पति होना गलत रूप से वर्णित किया गया है। जो कि एक षडयन्त्र की योजना है। यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रार्थी वादी द्वारा इस मद में वर्णित व्यक्ति बिसना उर्फ किसना पुत्र हनुता का देहान्त हुए ही 95 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इस स्थिति में सम्वत् 1937 मे इस मद में वर्णित इस व्यक्ति नाम से खातेदारी दर्ज होना या कब्जा होना मनगढन्त कहानी है। यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि उक्त वर्णित व्यक्ति बिसना उर्फ किसना पुत्र हनुता के नाम के राजस्व दस्तावेजात नही है। यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रार्थी वादी एवं वाद-पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण सं0 7 लगायत 13 के नाम भी कभी कोई राजस्व रिकार्ड नहीं रहा है। कब्जे का सबूत गिरदावरी में भी कोई कभी नाम प्रार्थी वादी एवं वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादी संख्या 7 ता 13 का नहीं रहा है। प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान भी मिथ्या व अपूर्ण है। इस प्रकार प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र सरसरी रूप से ही खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी वादी व वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 का वादग्रस्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा, न ही कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी वादी व वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 वादग्रस्त आराजीयात पर कभी भी हक व हिस्सा नहीं रहा है। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के पूर्वज नाथू वल्द किसना का ही प्रारम्भ से आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है 60 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 उनके पूर्वज नाथू का ही कब्जा काश्त रहा है तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी, गिरदावरी, पर्चा लगान इत्यादि नाम रहा है। अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पूर्वज भी नाथू पुत्र किसना ने अनेक बार वादग्रस्त आराजीयात पर बैंक ऋण प्राप्त किये है; यदि प्रार्थी वादी व वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई संबंध था तो प्रार्थी वादी व वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 ने विगत 60 वर्षों में कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की। प्रारम्भिक खातेदार नाथू की मृत्यु हुए भी 27 साल व्यतित हो गये । तब भी प्रार्थी वादी व वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी वादी एवं वाद पत्र में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 ने मिलीभगत से वादग्रस्त सम्पति हड़पने का षडयन्त्र रचकर मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो प्रथम द्रष्टया ही खारिज होने योग्य है।

दिनांक 28.12.2007 को प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष द्वितीय अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जिसमें न्यायालय को अवगत कराया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का दौराने वाद बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को भी दर्ज रजिस्टर किया

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस में मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों को दोहराया जो अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है।

हमने उक्त दोनो पत्रावलीयों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी/वादी का वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का है जिसमें प्रार्थी के अधिकार की घोषणा होनी है तथा प्रार्थना पत्र व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व सजरा खानदान से विवादित भूमि प्रथम दृष्टया पैतृक भूमि होना पाया जाता है, जिससे प्रार्थी/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता न बढे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारान को ताफैसला मूल वाद विवादित भूमि वाके ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.07 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.08 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 774 रकबा 0.09 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.31 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.48 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.49 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1083 रकबा 0.42 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.31 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 1094 रकबा 0.47 हैक्टैयर, कुल किता 9 का कुल रकबा 2.72 हैक्टेयर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ रहे।

आदेश आज दिनांक 12.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.11.26 15:35:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: